[12/7/2023]
परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
प्रश्न स. [क्र. 995]
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **01/03/2023**

वर्ग : 3 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **16/03/2023** विभाग का नाम : **जल संसाधन**

विषय : **विशेष पैकेज की स्वीकृति ।**

(**अतारांकित** प्रश्न क्रमांक : **2521**) **श्रीराज्यवर्धन सिंह**

क्या **जल संसाधन मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़ अंतर्गत पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित परिवारों को मुआवजा के संबंध में विशेष पैकेज स्वीकृत किये जाने हेतु शासन स्तर के तत्कालीन विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया था तथा निर्माण कार्य प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक प्रभावित परिवारों द्वारा 20 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाने की मांग शासन-प्रशासन से की जा रही है ? यदि हां तो क्या प्रभावित परिवारों को विशेष पैकेज दिये जाने हेतु प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां तो क्या, यदि नहीं तो क्यों? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 9 मार्च 2021 को प्रमुख अभियंता को प्रेषित पुनरीक्षित पैकेज प्रस्ताव पर प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां तो क्या, यदि नहीं तो क्यों ? (ग) उपरोक्तानुसार क्या शासन प्रभावित परिवारों को 20 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा हेतु विशेष पैकेज स्वीकृत करने का मुख्य बजट 2023 में प्रावधान करेगा ?

उत्तर : (क)से(ग) जी नहीं, पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित परिवारों को मुआवजा के संबंध में विशेष पैकेज स्वीकृत किए जाने हेतु शासन स्तर के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया जाना अभिलिखित नहीं है । पार्वती परियोजना के डूब प्रभावित परिवारों द्वारा रू.20.00 लाख प्रति हेक्टेयर मुआवाजा दिए जाने की माँग शासन प्रशासन से की जा रही है । मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, भोपाल द्वारा दिनांक 09 मार्च 2021 को प्रमुख अभियंता को पुनरीक्षित पैकेज प्रस्ताव प्रेषित किया जाना प्रतिवेदित है । मुख्य अभियंता द्वारा प्रेषित उक्त प्रस्ताव प्रमुख अभियंता द्वारा एकल नस्ती के माध्यम से दिनांक 06.08.2021 को शासन स्तर पर प्राप्त हुआ । शासन स्तर पर प्रभावित परिवारों को विशेष पैकेज दिए जाने का कोई प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

Digitally Signed by : VINOD SINGH TEKAM
|10.131.173.71 | 01/03/2023 02:59:41.908 PM

अवर सचिव
म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग